उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय आयुक्त,

खाद्य नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड

खाद्य भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड (लाडपुर) देहरादून

E mail- foodcommfcs@gmail.com Phone –0135 2780765,

पत्रांक– 1117 /आ0खा0/1377/2021 दिनांक : 19 अगस्त 2021

सेवा में,

महानिदेशक
लोक सूचना एंव जनसंपर्क विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- प्रेस विज्ञप्ति जारी किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– 666/21-XIX-2/04 रिट/2021 दिनांक 18.08.2021 के कम में उत्तराखण्ड, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, देहरादून में रिक्त सदस्यों के 04 पदों एंव जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष के रिक्त 02 पदों (जनपद ऊधमसिंहनगर एंव नैनीताल) पर नियुक्त किया जाना है, जिसके चयन हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी की जानी है।

अतः अनुरोध है कि उत्तराखण्ड, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, देहरादून में रिक्त सदस्यों के 04 पदों एंव जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष के रिक्त 02 पदों (जनपद ऊधमसिंहनगर एंव नैनीताल) हेतु दिनांक 20–08–2021 को 02 प्रतिष्ठित हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाते हुये भुगतान हेतु बिल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें । इस हेतु हिन्दी की प्रेस विज्ञप्ति की 02 प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय

(भूपाल सिंह मनराल)
आयुक्त

प्रतिलिपिः– सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अवगतार्थ।

(भूपाल सिंह मनराल)
आयुक्त

प्रेस विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–666दिनांक 18 अगस्त 2021 के क्रम में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सदस्यों के 04 (चार) पद एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष के 02 (दो) पदों जनपद ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल के लिये पूर्णकालिक आधार पर आवेदन आमंत्रित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

1. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सदस्यों के 04 पद जिसमें 50 प्रतिशत न्यायिक पृष्ठभूमि से तथा 50 प्रतिशत अन्य पृष्ठभूमि से (01 पद महिला हेतु आरक्षित)
2. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष के 02 पद (जनपद ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल)

राज्य आयोग में सदस्य एवं जिला आयोग में अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु जनपदवार पृथक से आवेदन करना होगा। यह नियुक्तियां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेश सख्या–954 दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 द्वारा लागू उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति के लिये अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 के प्राविधानों के तहत की जायेगी।

पात्रता मानदण्ड, कार्यकाल और योग्यता उपरोक्त अधिनियम और नियम में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार होगी। आवेदन हेतु आवेदन प्रपत्र एवं विज्ञापन विभाग की वैबसाईट www.fcsuk.gov.in पर उपलब्ध है।

आवेदक, आवेदन प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर दिनांक 10 सितम्बर 2021 की सायं 5.00 बजे तक कार्यालय आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड 'खाद्य भवन' मसूरी बाईपास, लाडपुर, देहरादून को डाक अथवा ई मेल (schukddn 2014@gmail.com)के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से समस्त आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर उपलब्ध करायेगा। बिना आवश्यक दस्तावेजों के आवेदन पर कोई विचार नही किया जायेगा। निर्धारित तिथि/समय के उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई विचार नही किया जायेगा।

(भूपाल सिंह मनराल)
आयुक्त

आवेदन प्रारूप

उत्तराखंड राज्य में अध्यक्ष/सदस्य, राज्य/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पद के लिए आवेदन

नवीनतम पासपोर्ट साईज की फोटो

1. नाम:

2. पिता का नाम:

3. पति का नाम:
(महिला उम्मीदवारों के मामले में)

4. जन्म तिथि:

5. आवेदन की तिथि के अनुसार आयु:

6. स्थायी पता और गृह जिला:

7. पिन कोड के साथ पत्राचार के लिए पता:

8. मोबाइल नंबर:

9. ई–मेल:

10. वर्तमान व्यवसाय और वार्षिक आय:

11. शैक्षणिक योग्यता (हाई स्कूल एवं उसके बाद):

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक	अधिकतम अंक	डिवीजन

12. सेवारत आवेदकों के मामले में

i	सेवा में शामिल होने की तिथि	
ii	वर्तमान पदनाम	
iii	वेतनमान और मूल वेतन	
iv	सेवानिवृत्ति का दिनांक	

13. सेवानिवृत्ति आवेदकों के मामले में

i	सेवा में शामिल होने की तिथि	
ii	अंतिम धारित पद	
iii	अंतिम वेतनमान	

14. उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, उद्योग, प्रबन्धन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में प्रासंगिक अनुभव (अवरोही कालानुक्रम में)

क्रम सं0	धारित पद	संगठन का नाम और पता	अवधि	कार्य की प्रकृति

15. कोई अन्य उपलब्धि, जो उम्मीदवार सूचित करना चाहते हैं: ____________________

16. न्यायिक पृष्ठभूमि के आवेदकों को अपने 10 सर्वश्रेष्ठ निर्णयों की प्रति उपलब्ध करानी होगी। अन्य सेवारत आवेदकों को अपने उत्कृष्ट कार्यो का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

17. वह पद जिसके लिए आवेदन किया गया है–

18. क) जिस पद के लिये आवेदन किया गया है, वहॉ यदि कोई घनिष्ठ सम्बधी हो तो, सूचित करें।

ख) यदि कोई निकट सम्बन्धी अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हो, तो उनका नाम सूचित करें।

19. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण दें।

20. क्या आवेदक को कभी भी किसी आपराधिक अपराध या किसी विभागीय कार्यवाही के लिए चार्जशीट किया गया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण दें।

21. क्या आवेदक को किसी दण्डनीय अपराध के लिए किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण दें।

22. क्या आवेदक के पास एक से अधिक जीवित पति/पत्नी हैं?

23. क्या आवेदक रिक्ति परिपत्र में सूचीबद्ध किसी भी अयोग्यता को धारित करता है?

24. उपरोक्त कॉलम नंबर 1 से 23 के तहत कवर की गई कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।

25. आवेदन के साथ निम्न बिन्दुओं पर घोषणा पत्र, जो कि शपथ पत्र के रूप में भी आवेदन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है –

i) कि आप उत्तराखंड राज्य में आवेदित पद.........................पर सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर, नियुक्ति के इच्छुक हैं;

ii) कि आपको नैतिक अधमता में शामिल होने के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, न ही कारावास की सजा सुनाई गई है;

iii) कि आपको दिवालिया नहीं ठहराया गया है;

iv) कि आप विकृत चित्त (unsound mind) के नहीं हैं और एक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आपको विकृत चित्त घोषित नहीं किया गया है।

v) कि आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार या ऐसी सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रित निकाय की सेवा से हटाया या निष्कासित नहीं किया गया है; तथा

vi) कि आपको आवेदित पद....................पर कार्य करने से राज्य सरकार के वित्तीय या अन्य हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

दिनांक   आवेदक का हस्ताक्षर

नोटः –i) आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आय आदि के प्रमाण के समर्थन में संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

ii) सेवारत अधिकारी / अधिकारी अंतिम तिथि तक अपने आवेदन उचित माध्यम से भेजेंगे।

फार्म–I

उत्तराखंड राज्य में आवेदित पद.. के लिए पद की शपथ। मैं______________________________ उत्तराखंड राज्य में राज्य/जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया हूँ।

मैं पूर्ण रूप से ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं निष्ठापूर्वक एवं पूर्ण विवेक के साथ बिना भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के अपनी क्षमता और ज्ञान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करूंगा/करूंगी और विधि एवं संविधान को बनाये रखूगा/रखूगीं।

नामः (हस्ताक्षर)

स्थानः
दिनांकः

फार्म–II

उत्तराखंड राज्य में आवेदित पद.. के लिए पद की शपथ। मैं______________________________ उत्तराखंड राज्य में राज्य/जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया हूँ।

मैं पूर्ण रूप से ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता/लेती हूँ कि कोई भी विषय जो मेरे विचार के लिये लाया जायेगा उसे मैं किसी भी व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा/करूगी...................आवेदित पद के रूप में मेरे कर्तव्यों के उचित निर्वाहन के लिए आवश्यक होने के अलावा उक्त विषय राज्य/जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में जाना जाएगा।

नामः (हस्ताक्षर)

स्थानः
दिनांकः